

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 8(30)त.शि./96

जयपुर, दिनांक

6/3/17

आदेश

राजस्थान तकनीकी शिक्षा सेवा नियम 2010 के अंतर्गत प्रधानाचार्य/संयुक्त निदेशक के पद की दिनांक 1.4.2016 की स्थिति अनुसार अन्तरिम वरिष्ठता सूची (प्रोविजल वरिष्ठता सूची) निम्नानुसार एतद द्वारा जारी की जाती हैं।

क्रम सं	अधिकारी का नाम	जन्मतिथि	नियमित चयन तिथि
1	श्री ए.के चौहान	26.1.1957	2000-01
2	श्री आर.के शर्मा	22.11.1956	2001-02
3	श्री गिर्राज प्रसाद पारीक	15.7.1956	2002-03
4	श्री पी.के मेहता	8.3.1961	2003-04
5	श्री वी.एस शर्मा	15.6.1959	2003-04
6	श्री पुरुषोत्तम सांखला	3.10.1959	2003-04
7	श्री डी.एस यादव	1.7.1960	2003-04
8	श्री आर.के गुप्ता	1.7.1956	2003-04
9	श्री एस.पी सुथार	16.9.1956	2006-07
10	श्री जे.के जैन	3.9.1957	2006-07
11	श्री गंगाराम डाबरिया (अजा.)	15.4.1957	2006-07
12	श्री निरंजन सिंह (अजा.)	16.4.1956	2006-07
13	श्री प्रेमचंद (अजा.)	10.7.1962	2006-07
14	श्री अरुण कुमार	2.10.1958	2008-09
15	श्रीमती अमिता बाफना	27.8.1960	2008-09
16	श्री विजय सिंह	1.10.1958	2009-10
17	श्री सीताराम जालंधरा	1.1.1962	2009-10
18	श्री अशोक कुमार	25.10.1962	2009-10

उपरोक्तानुसार वरिष्ठता के संबंध में अधिकारियों द्वारा कोई आपत्ति हो तो इस विज्ञप्ति की तिथि से 10 दिवस के अन्दर भेजी जा सकती है। निर्धारित समय पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। संबंधित अधिकारी आपत्ति सीधे राज्य सरकार को भिजवाए तथा एक प्रति निदेशक प्राविधिक शिक्षा जोधपुर को भिजवावें।

भवदीय

(एम.एम.सेतिया)

संयुक्त सचिव त.शि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री महोदय तकनीकी शिक्षा
2. निजी सचिव अति. मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा।
3. निदेशक प्राविधिक शिक्षा, राजस्थान जोधपुरको प्रेषित कर लेख है कि उक्त वरिष्ठता सूची को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कर संबंधित अधिकारी को सूचित करने का श्रम करें।
4. निजी / सक्षित पत्रावली

मुरल राजा

(अब्दुल रजाक)

सहायक शासन सचिव त.शि.